आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 05.11.2025 समय : 0705

<><><><><><><>

- मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने द्वीप भूमि पोर्टल में एकीकृत ऑनलाइन भूमि परिवर्तन मॉड्यूल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।
- मध्योत्तर अंडमान जिले में "संपर्क से समाधान–प्रशासन गाँव की ओर" नामक एक नई जनसंपर्क पहल की शुरुआत की गई।
- द्वीपों में पर्यटकों की सुविधा के लिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नवनिर्मित पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया गया।
- पर्यटन विभाग की ओर से 8 नवंबर को शोल बे में मैंग्रोव वॉक का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><>

मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने द्वीप भूमि पोर्टल में एकीकृत ऑनलाइन भूमि परिवर्तन मॉड्यूल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने लोक प्रशासन में ऑनलाइन वेब पोर्टल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये सेवाएँ द्वीपवासियों को सुविधा और दक्षता प्रदान करेंगी। इस ऑनलाइन सेवा का उद्देश्य द्वीपसमूह के नागरिकों को भूमि परिवर्तन के क्षेत्र में आसान, सुविधाजनक और पारदर्शी सुविधा प्रदान करना है। यह पहल, प्रधानमंत्री के निर्देश पर अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में शुरू की गई विनियमन प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ताकि व्यापार में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए CLU के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक व्यापक सूची तैयार की गई है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सक्षम बनाया गया है। यह पोर्टल, निवासियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक वन–स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। भूमि परिवर्तन मॉड्यूल के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। भूमि परिवर्तन के लिए सुविधा dweepbhoomi.andamannicobar.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।

><><><><><><>

गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर, उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने द्वीपवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह दिन सिख धर्म के पूज्य संस्थापक, गुरु नानक देव जी की जयंती का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएँ मानवता को एकता, समानता, करुणा और निस्वार्थ सेवा के शाश्वत आदर्शों की ओर प्रेरित और मार्गदर्शित करती रहती हैं। उन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा बताए गए मूल्यों – शांति, भाईचारा और मानवता की सेवा – के प्रति स्वयं को समर्पित करने और उनके शाश्वत ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का अनुरोध किया है।

><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान जिले में "संपर्क से समाधान–प्रशासन गाँव की ओर" नामक एक नई जनसंपर्क पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों के साथ सीधा जुड़ाव बढ़ाना और जिले भर में सहभागी शासन को मजबूत करना है। यह पहल प्रशासन को लोगों के द्वार तक पहुँचाने और उत्तरदायी, पारदर्शी एवं नागरिक–केंद्रित शासन के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई है। कार्यक्रम के तहत, मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त, संबंधित सहायक आयुक्तों, राजस्व अधिकारियों और सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जिले के विभिन्न गाँवों का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान, टीम पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और स्थानीय निवासियों से मुलाकात करेगी, उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनेगी और मुद्दों को समय पर कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। पहले चरण में, जिला उपायुक्त डिगलीपुर का दौरा करेंगे।

><><><><><><>

मुख्य सचिव, डॉ. चंद्र भूषण कुमार, ने कल श्री विजयपुरम स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नवनिर्मित पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। यह सुविधा पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सहूलियत को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। इस अवसर पर सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय की आयुक्त–सह–सचिव चंचल यादव, सचिव ज्योति कुमारी, और निदेशक विनायक चमड़िया, के साथ पर्यटन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी भी उपस्थित थे। पर्यटक सूचना केंद्र एक वन–स्टॉप

केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो आगंतुकों को विभिन्न पर्यटक आकर्षणों, यात्रा मार्गों, आवास विकल्पों और द्वीपसमूहों में गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा।

><><><><><>

जीएसटी 2.0 के तहत हाल ही में दरों में संशोधन और नियामक परिवर्तनों के बाद, वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने पूरे द्वीपसमूह में अपने अनुपालन प्रवर्तन उपायों को तेज कर दिया है। यह देखा गया है कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा संशोधित जीएसटी दरों, छूटों और रिपोर्टिंग मानदंडों का पालन नही किया जा रहा है। यूटीजीएसटी आयुक्त के मार्गदर्शन में, प्रवर्तन दल की ओर से श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। चल रहे अभियान के तहत, नवीनतम जीएसटी प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि के लिए छियालीस व्यावसायिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया और जीएसटी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार, मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। अब तक नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों से कुल दो दशमलव पांच तीन लाख रूपये की जुर्माना राशि वसूल की जा चुकी है। विभाग ने प्रतिष्ठानों से संशोधित जीएसटी दरों का पालन करने की सलाह दी है। जीएसटी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत व्हाट्सऐप नम्बर 9595359698 के माध्यम से दी जा सकती है।

><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को शुरू किए गए जी.एस.टी. उत्सव के अंतर्गत लागू की गई संशोधित दरों से देशभर के कई क्षेत्रों में लोगों को लाभ हो रहा है। द्वीपसमूह में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अगली पीढी के जी एस टी सुधारों से मिल रहे लाभ के बारे में स्थानीय व्यवसायी ने बताया

><><><><><>

पर्यटन विभाग की ओर से पर्यावरण एवं वन विभाग और ग्राम पंचायत, शोल बे के सहयोग से, 8 नवंबर को सुबह 8 बजे से शोल बे में एक मैंग्रोव वॉक का आयोजन किया जाएगा। यह मैंग्रोव वॉक प्रतिभागियों को शोल बे में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्ध वनस्पतियों और जीवों का अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करेगा। वन विभाग के विशेषज्ञ प्रतिभागियों को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी जैव विविधता के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यह वॉक पचास प्रतिभागियों तक सीमित है। इस भ्रमण के लिए परिवहन विभाग की ओर से बस की विशेष व्यवस्था की गई है, जो सुबह 6 बजे मोहनपुरा बस टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और सुबह 8 बजे तक शोल बे पहुँचेगी। इस वॉक के लिए इच्छुक व्यक्ति कल तक पर्यटन विभाग में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र निदेशालय के प्रबंधक से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहले 50 आवेदकों को 8 नवंबर, को मैंग्रोव वॉक के पहले चरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जबकि शेष आवेदकों को अगले चरण में शामिल किया जाएगा।

><><><><><>